छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

//अधिसूचना//

नया रायपुर दिनांक 28 अप्रैल, 2018

क्रमांक एफ 20–70/2004/11/(6) चूंकि, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित से ऐसा करना आवश्यक है,

अतएव राज्य शासन एतद् द्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 20–2/2002/छः/11 दिनांक 07.01.2003 द्वारा जारी **"छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम – 2002'** में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात :–

संशोधन

उक्त भण्डार क्रय नियम में,

(एक) नियम 4 के उप नियम 4.2 के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाये:–

"परंतु, छत्तीसगढ़ में स्थापित भारत सरकार से मान्यता प्राप्त वैध स्टार्टअप, जैसा कि औद्योगिक नीति 2014–19 के परिशिष्ट–1 परिभाषा में अनुक्रमांक 54 पर परिभाषित है तथा निविदाकर्ता द्वारा निविदा जारी करने की दिनांक को भारत सरकार की वेबसाईट पर वैध पाया गया है, को निविदा प्रक्रिया में निम्नानुसार लाभ प्राप्त होंगे :–

1. *पूर्व अनुभव की आवश्यकता नहीं होगी।*
2. *उस पर पूर्व टर्नओवर संबंधी कोई शर्त अधिरोपित नहीं होगी।*

(दो) नियम 4 के उप नियम 4.7 सुरक्षा निधि के वर्तमान पैरा को निम्नांकित पैरा से प्रतिस्थापित किया जाये :–

सुरक्षा निधि – केवल वास्तविक प्रदायकर्ता फर्मे ही अपनी निविदा प्रस्तुत कर सकें, इसलिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक निविदा के साथ अनुमानित क्रय मूल्य का कम से कम 3 प्रतिशत सुरक्षा निधि प्राप्त की जाये। यह सुरक्षानिधि सफल निविदाकार की रोककर, शेष की 15 दिवस में वापस लौटा दी जाए। प्रदेश की लघु एवं कुटीर उद्योग इकाई जो उद्योग विभाग से पंजीकृत है, के साथ ही छत्तीसगढ़ में स्थापित भारत सरकार से मान्यता प्राप्त वैध स्टार्टअप, जैसा कि औद्योगिक नीति 2014–19 के परिशिष्ट–1 परिभाषा में अनुक्रमांक 54 पर परिभाषित है तथा निविदाकर्ता द्वारा निविदा जारी करने की दिनांक को भारत सरकार की वेबसाईट पर वैध पाया गया है, तथा सक्षमता प्रमाण पत्र प्राप्त है, को उसका परीक्षण कर उन्हें शासकीय क्रय प्रक्रिया में भाग लेते समय सुरक्षा निधि जमा करने से छूट दी जाये। इकाईयों द्वारा इस आशय का प्रमाण, टेण्डर के साथ देने पर ही उन्हें छूट प्राप्त होगी।

...1..

Scanned by CamScanner

(तीन) नियम 13 के वर्तमान पैरा के अंत में निम्नांकित पैरा जोड़ा जाये :–

सामग्री क्रय करने वाला शासकीय विभाग छत्तीसगढ़ में स्थापित भारत सरकार से मान्यता प्राप्त वैध स्टार्टअप, जैसा कि औद्योगिक नीति 2014–19 के परिशिष्ट–1 परिभाषा में अनुक्रमांक 54 पर परिभाषित है तथा निविदाकर्ता द्वारा निविदा जारी करने की दिनांक को भारत सरकार की वेबसाईट पर वैध पाया गया है, न्यूनतम स्वीकृत निविदा दर (एल 1) के बराबर करने की सहमति तथा गुणवत्ता औचित्यपूर्ण होने की दशा में सामग्रियां क्रय करने में ऐसे वैध स्टार्टअप को कुल क्रय राशि का 1 प्रतिशत, अधिकतम् रूपये 10 लाख प्रतिवर्ष की सीमा तक एवं उत्पादन दिनांक से 3 वर्ष की समयावधि में, क्रय आदेश हेतु प्राथमिकता दे सकेगा । इस हेतु निविदाकर्ता द्वारा निविदा शर्तों में समुचित प्रावधान एवं प्रक्रिया उल्लेखित की जायेगी।

उक्त संशोधन इस अधिसूचना के जारी होने की दिनांक से प्रभावशील होगें।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से,
तथा आदेशानुसार

—।—

(व्ही.के.छबलानी)
विशेष सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

पृष्ठा.क एफ 20–70/2004/11/(6) नया रायपुर, दिनांक 28 अप्रैल, 2018

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल, राजभवन रायपुर
2. शासन के समस्त विभाग
3. रजिस्ट्रार, माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ बिलासपुर
4 प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़, विधानसभा सचिवालय, रायपुर
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, छत्तीसगढ़, रायपुर
6. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल, रायपुर
7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़ लेखा एवं हकदारी, रायपुर
8. समस्त विभागाध्यक्ष, छत्तीसगढ़
9. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़
10. सचिव, लोक आयोग, छत्तीसगढ़, रायपुर
11. प्रबंध संचालक, सीएसआईडीसी, रायपुर
12 समस्त सार्वजनिक उपक्रमों/मंडलों छ.ग.
13. अवर सचिव, छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, अधीक्षण शाखा, मंत्रालय, रायपुर
14. नियंत्रक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्राणालय, छ.ग. राजनांदगांव की ओर अग्रेषित । कृपया उपर्युक्त अधिसूचना छ.ग. राजपत्र के आगामी अंक में मुद्रित करवाकर 50 प्रतियां इस विभाग को उपलब्ध कराएं ।

विशेष सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

Scanned by CamScanner